राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3904/2016

प्रभुदयाल –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.12.2016
आदेश की दिनांक : 01.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"It is therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and the impugned order dated 24.6.2016 may kindly be quashed and set aside. The respondents may further be directed to consider the case of the appellant for his promotion to the post of Director against the vacancy of 2013- 14 and promote the appellant on the post of Director. Economics and Statistics, consequential benefits."

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारम्भ में दिनांक 06.11.1978 को कंप्यूटर पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें वर्ष 1980 में सीधी भर्ती द्वारा सांख्यिकी सहायक के पद पर भर्ती किया गया था। इसके पश्चात राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा सांख्यिकी अधिकारी के पद पर वर्ष 1993 में भर्ती किया गया था और फिर उन्हें वर्ष 1998 में सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और वर्ष 2001 में उन्हें उप निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्तमान में उन्हें वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध आदेश दिनांक 09. 11.2012 (अनुलग्नक–1) द्वारा संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया। अपीलार्थी संयुक्त निदेशक के पद पर रहते हुए 31.07.2013 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन बाद में रिव्यू डीपीसी की गई और 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध संयुक्त निदेशक के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए फिर से विचार किया गया। ओम प्रकाश मांझू को भी 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध विचार किया गया।

रिव्यू डीपीसी दिनांक 18.03.2015 के पदोन्नति आदेश की प्रति अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। उक्त ओम प्रकाश मांझू भी इसी सेवा से सेवानिवृत्त थे। संयुक्त निदेशक के पद से अगली पदोन्नति निदेशक के पद पर होती है। निदेशक का पद पदोन्नति का पद है और दिनांक 24.06.2016 के आदेश के तहत 2013–14 की रिक्ति के विरुद्ध निदेशक के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एक डीपीसी बुलाई गई थी। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि अपीलार्थी 31.07.2013 को सेवानिवृत्त हो गया था और इस प्रकार उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 01.04.2013 के संदर्भ में उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ओम प्रकाश मांजू को भी सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, लेकिन उन्हें आदेश दिनांक 24.06.2016 (अनुलग्नक–3) द्वारा निदेशक के पद पर नोशनल आधार पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि सुरजीत लाल मीणा, बाबूलाल कटारा, देशराज मीणा एवं भंवर लाल बैरवा को अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया गया। जबकि वे सामान्य श्रेणी में पदोन्नति पाने के लिए अधिकारी नहीं हैं, लेकिन सुरजीत लाल मीणा, बाबूलाल कटारा, देशराज मीणा को निदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया और ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के संशोधन के मुख्य प्रावधानों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया है। कुल कैडर में निदेशक के पदों की संख्या 8 है एवं इस पर एल शेप रोस्टर लागू होता है। इन 8 रिक्तियों के विरुद्ध केवल एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और जहां तक अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का संबंध है, एल प्रकार के रोस्टर में विचार किया जा सकता है, लेकिन डीपीसी द्वारा एसटी वर्ग के सभी तीन उम्मीदवारों को वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरूद्ध निदेशक के पद पर पदोन्नत (सेवानिवृत्ति के बाद भी) किया गया था और अपीलार्थी के प्रकरण पर डीपीसी द्वारा विचार नहीं किया गया था। अपीलार्थी के प्रकरण को पदोन्नति हेतु डीपीसी द्वारा विचार नहीं करना दिनांक 11.09.2011 के मुख्य संशोधन के विपरीत एवं एल शेप रोस्टर के विपरीत है। डीपीसी द्वारा निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों और आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को अवैध तरीके से अनारक्षित श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया है इसलिए दिनांक 24.06.2016 को आदेश पारित करने में प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील दायर की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 24.06.2016 को अपास्त किया जाकर वर्ष 2013–14 की रिक्ति के विरुद्ध निदेशक के पद पर समस्त परिलाभों सहित पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने पदोन्नति आदेश दिनांक 24.06.2016 को चुनौती दी है। पदोन्नति आदेश में जो भी

अभ्यार्थी है वे सभी आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार नहीं बनाने से अपील खारिज योग्य है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2013 को संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ, दिनांक 01.04.2013 को जो अभ्यार्थी सेवा में थे उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति निदेशक के पद पर होनी थी। निदेशक के 8 पद होने के कारण एल. रोस्टर लागू होने का तथ्य अस्वीकार है। विभाग में निदेशक के वर्ष 2013–2014 (1 अप्रेल 2013) में कुल 15 पद स्वीकृत है जिसमें दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार 12 अभ्यार्थी निदेशक के पद पर कार्यरत थे, तीन पद रिक्त थे (दो पद सामान्य एवं एक पद अनुसूचित जाति) सत्यप्रकाश काबरा निदेशक पद से दिनांक 30.04.2013 को सेवानिवृत्त होने से रिक्ति दिनांक 01.05.2013 व श्री सुगनाराम कटेवा निदेशक पद से दिनांक 28.02.2014 को सेवानिवृत्त हुए से रिक्ति दिनांक 01.03.2014 को दो पद सेवानिवृत्त अधिकारियों से प्राप्त हुए एवं एक पद प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर में दिनांक 13.06.2013 को नवसृजित हुआ। इस प्रकार से इस पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 को निदेशक के कुल 16 पदों में से 6 पद विभाग में रिक्त थे। इस प्रकार से पदोन्नति पर एल. रोस्टर लागू न होकर 100 प्रतिशत रोस्टर लागू होगा। विभाग द्वारा कार्मिक विभाग जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संयुक्त निदेशक से निदेशक के पदों की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 30.05.2016 को किया, जिसमें पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर वर्ष 2013–2014 की रिक्तियों के लिए निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1.	सुरजीतलाल मीणा – 03–04	01.04.2013 दर्शनार्थ (सेवानिवृत्त)
2.	बाबूलाल कटारा – 09–10	01.04.2013
3.	देशराज मीणा – 09–10	01.04.2013
4.	ओमप्रकाश मांझू – 11–13	01.04.2013 दर्शनार्थ (सेवानिवृत्त)
5.	डालचन्द वर्मा	01.05.2013
6.	भंवर लाल बैरवा – 11–12	01.03.2014

उपरोक्त पदोन्नत सुरजीतलाल मीणा, बाबूलाल कटारा, देशराज मीणा एवं भंवरलाल मीणा को मूल वरिष्ठता सूची में वरिष्ठ होने के कारण सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। उक्त पदोन्नति विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 11.09.2011 के अनुसार की गई है। विभाग द्वारा निदेशक/संयुक्त निदेशक की जारी अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 17.05.2013 में अपीलार्थी का नाम संयुक्त निदेशक की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 9 पर अंकित है एवं पदोन्नति के समय जारी पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 11 पर था। अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी अधिकारी को वर्ष 2013–2014 की रिक्ति के विरूद्ध निदेशक के पद पर पदोन्नति प्रदान नही की गई है। विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 17.05.2013, वर्ष 2013–14 की पदोन्नति हेतु जारी पात्रता सूची एवं निदेशक पद हेतु वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु

दिनांक 30.05.2016 को आयोजित डीपीसी का बैठक कार्यवाही विवरण क्रमशः अनुलग्नक–1 से 3 पर उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 01.04.2013 को निदेशक के 15 पद स्वीकृत है। लिहाजा पदोन्नति में एल शेप रोस्टर के बजाय 100 बिन्दु रोस्टर लागू होगा। अपीलार्थी का कथन है कि वह निदेशक के पद पर पदोन्नत किए गये अधिकारियों से वरिष्ठ है परन्तु उनकी तरफ से इसके समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी निदेशक के पद पर पदोन्नत किए गए आरक्षित वर्ग के कार्मिकों से मूल वरिष्ठता या पारिणामिक वरिष्ठता में वरिष्ठ है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत वरिष्ठता सूची, पात्रता सूची एवं डीपीसी की कार्यवाही विवरण से यह स्पष्ट है कि पदोन्नत किए गए कार्मिक अपीलार्थी से वरिष्ठ है एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी भी कार्मिक का आलौच्य पदोन्नति आदेश द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं दी गई है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2013 को सेवानिवृत्त होने से वर्ष 2013–14 की रिक्तियों में उसके नाम पर विचार किया परन्तु वरिष्ठता क्रम में नीचे होने से पदोन्नति नहीं दी गई। अतः हम यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 24.06.2016 नियमानुसार होने से इसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः अपील बलहीन एवं सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य